राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष-47 ■ अंक-09 ■ फरवरी 2026 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-32

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान

केन्द्रीय कार्यसमिति की झलकियां

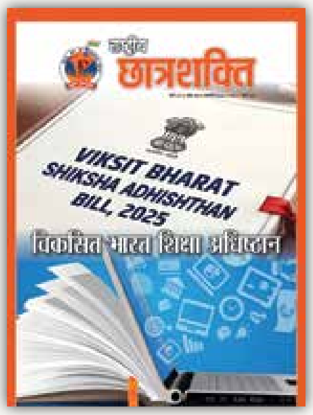

राष्ट्रीय

छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष–47, अंक–09
फरवरी 2026

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक मण्डल
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अबकी बार

05 **औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक**
भारत में उच्च शिक्षा के नियमन...

संपादकीय	04
भारतीय शिक्षा के समग्र विकास की दिशा में सशक्त कदम	08
शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के कौशल-रोजगार पर केन्द्रित प्रावधान सराहनीय : अभाविप	10
उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए समाचार पत्र पाठन अनिवार्य	11
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर मंथन	12
बांग्लादेशी वक्ताओं को बुलाने का अभाविप ने किया विरोध	13
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भगवा ध्वज	14
अभाविप ने स्थगन आदेश का किया स्वागत	16
अभाविप चलाएगी 'छात्रावास सर्वेक्षण अभियान'	17
9th National Symposium on Landmark Judgements-2025	18
Supreme Stamp on the Right to Life	20
विद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश स्वागतयोग्य	22
विश्वविद्यालयकर्मियों की शैक्षणिक योग्यता संदेह के घेरे में, जांच के लिए अभाविप ने दिया ज्ञापन	23
पर्यावरण, सेवा एवं चिकित्सा पर विभिन्न इंटर्नशिप कार्यक्रमों का आयोजन	24
कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागतयोग्य : अभाविप	25
विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर 'रील की दुनिया' से बाहर आएं युवा : आशीष चौहान	26
अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोकराव मोडक का निधन	29

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

भारतीय ज्ञान परंपरा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ऋषियों द्वारा ज्ञान के दर्शन, संचयन तथा समूचे जम्बूद्वीप में कालांतर में भारत की प्राकृतिक सीमाओं के बाहर उसके सांस्कृतिक विस्तार तक इस ज्ञान के प्रसार की अद्भुत और अनूठी व्यवस्था रही है।

समय के साथ-साथ इस परंपरा का युगानुकूलन भी होता रहा है। कभी 'सा विद्या या विमुक्तये' का घोष करने वाली ज्ञान परंपरा अपने आपको बदलती परिस्थियों में ढालते हुए आज उद्यमिता और कौशल विकास तक आ पहुंची है। परिषद ने बाजार की मांग को देखते हुए सरकार द्वारा बजट में प्रस्ताविक 'ऑरेंज इकोनॉमी' का स्वागत किया, वहीं समाज की आवश्यकताओं को समझते हुए 'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' अभियान का शुभारंभ भी किया है।

परिषद इस अभियान के माध्यम से छात्र-युवाओं तक यह संदेश पहुंचाना चाहती है कि प्रगति का आधार केवल तकनीकी ही नहीं है। मानवीय तथा रचनात्मक गतिविधियां भी युवाओं के जीवन का अहम अंग बननी चाहिए, जिससे वह समाज से प्रत्यक्ष जुड़ सके तथा उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो सकें। अभियान को विस्तार देते हुए इसे चार आग्रहों में बांटा गया है-स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम टू फन टाइम, स्क्रीन टाइम टू प्ले टाइम तथा मील विदाउट रील। इस अभियान के अंतर्गत अभाविप द्वारा युवाओं से अपने स्क्रीन टाइम में से 30 मिनट कम करके उसे समाज उपयोगी कार्यों में लगाने का आह्वान किया है। देखने में यह छोटी पहल लग सकती है किन्तु आगे चलकर जब इसका मूल्यांकन किया जाएगा तो निस्संदेह एक रचनात्मक सामाजिक क्रांति के रूप में स्थापित होगी।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के अनुसार तीन पृथक परिषदों, क्रमशः नियामक परिषद, गुणवत्ता/प्रत्यायन परिषद तथा मानक परिषद के गठन एवं इसके परस्पर समन्वय से नीति, नवाचार और राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा में प्रवर्तन के लिए एकीकृत एवं सुगम व्यवस्था आकार ले सकेगी।

उच्च शिक्षा में नवाचार और स्वायत्तता की मांग को लेकर परिषद अनेक दशकों से सक्रिय थी। ढ़ांचागत कठिनाइयों, संसाधनों की कमी, उत्तरदायित्वहीनता, शोध हेतु अनुकूल वातावरण का अभाव, कम अवसर तथा उसमें भी असमानता को लेकर निरंतर चर्चा होती रही है। उम्मीद है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के गठन से इस दिशा में बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। विधेयक के अनुसार तीन पृथक परिषदों, क्रमशः नियामक परिषद, गुणवत्ता/प्रत्यायन परिषद तथा मानक परिषद के गठन एवं इसके परस्पर समन्वय से नीति, नवाचार और राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा में प्रवर्तन के लिए एकीकृत एवं सुगम व्यवस्था आकार ले सकेगी।

अनेक उल्लेनीय घटनाओं एवं उपलब्धियों के आनंद के बीच अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोकराव मोडक के निधन का समाचार व्यथित करने वाला है। यह पीड़ादायक है कि गत कुछ समय में ही प्रथम पीढ़ी के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का वियोग संगठन को सहना पड़ा। स्वर्गीय मोडक जिज्ञासु अध्येता एवं कुशल संगठनकर्ता थे। पहले एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और बाद में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए भी उनका चिंतन और लेखन निरंतर जारी रहा। परिषद के लिए उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है।

केन्द्र सरकार के प्रस्तावित बजट में 'शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में'बजट में की गई वृद्धि का परिषद ने स्वागत किया है। नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन में संगठन सदैव की भांति रचनात्मक सहयोग देता रहेगा।

हार्दिक शुभकामना सहित

आपका
संपादक

औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक

■ डा. राजशरण शाही

भारत में उच्च शिक्षा के नियमन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए लाया गया 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक-2025' भारतीय शिक्षा की संस्थागत पुनर्रचना या प्रशासनिक सुधार का केवल संकल्प पत्र ही नहीं है, बल्कि यह भारत की शैक्षिक संकल्पना को शिक्षा व्यवस्था में स्थापित करने का एक यथोचित प्रयास भी है। यह अधिनियम भारत की शिक्षा को नियंत्रण की औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के प्रति प्रतिबद्धता को भी अभिव्यक्त करता है। भारत में प्राचीन काल से ही विद्यालयी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक की एक सुव्यवस्थित रचना दिखाई देती है। जब विश्व में कहीं विश्वविद्यालय नहीं थे, उस समय भारत में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ प्रतिमान विद्यमान थे। गुणवत्ता, स्वायत्तता तथा जवाबदेही की भावना से संचालित होने के कारण इन्हें वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त थी और विश्व के अन्यान्य देशों के शिक्षक और शिक्षार्थी यहां अध्ययन-अध्यापन के लिए आते थे। भारत को विश्वगुरू के रुप में प्रतिष्ठित करने में इन संस्थानों की अप्रतिम भूमिका रही है ।

ब्रिटिश सत्ता के कार्यकाल में लार्ड मैकाले ने भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को काटने का सुनियोजित प्रयास किया और शिक्षा की एक नई योजना का सूत्रपात किया, जो पूरी तरह से औपनिवेशिक मानसिकता से ओत-प्रोत थी। तक्षशिला, नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के उद्‌गम स्थल भारत में जब 1858 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना अंग्रेज़ी शासन द्वारा की गई, तो इनका आदर्श भारत के इन श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को न बनाकर लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया, जो तत्कालीन समय में ऐसा विश्वविद्यालय था, जहां शिक्षण नहीं, बल्कि डिग्री देने का कार्य होता था।

1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो यह अपेक्षा थी कि भारत की प्रकृति और संस्कृति के अनुरूप

उच्च शिक्षा में बहु-नियामक संस्थानों की स्थापना से कई बार विरोधाभासी निर्णय के कारण दुविधा की स्थिति का सामना संबंधित संस्थानों को करना पड़ता है। साथ ही अति नियमन के कारण छात्रों को अनेक प्रकार की प्रक्रियात्मक जटिलताओं का दंश भी झेलना पड़ता है।

शिक्षा की योजना तैयार होगी। इसी उद्देश्य से 1948 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। राधाकृष्णन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के नियमन के लिए स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की प्रेरणा भारत की शिक्षा व्यवस्था से लेने के स्थान पर ब्रिटेन में तत्कालीन समय कार्यरत विश्वविद्यालय अनुदान समिति से ली गई थी। नाम में परिवर्तन तो केवल समिति के स्थान पर आयोग का हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव आज तक भारत की शिक्षा की सोच, संरचना तथा कार्य पद्धति पर दिखाई देता रहा है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा को भारत के जीवन आदर्शों पर प्रतिष्ठित करने के लिए न केवल संकल्प व्यक्त किया है, बल्कि यहां की शिक्षा परम्परा से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील भी है।

किसी भी देश की शिक्षा वहां के जीवन दर्शन से अनुप्राणित होती है। भारत की जीवन दृष्टि एकात्मता में विश्वास करती है, इसीलिए शिक्षा को देखने तथा समझने की भारतीय दृष्टि एकात्म ही रही है। पश्चिम ने जीवन को टुकड़ों में देखने का प्रयास किया, वहां की शिक्षा पर उनकी जीवन दृष्टि का प्रभाव स्पष्ट तथा दृष्टिगोचर होता है। शिक्षा व्यवस्था पश्चिम से प्रेरित होने के कारण भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के पश्चात 1987 में तकनीकी शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं के नियमन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा अध्यापक शिक्षा के नियमन के लिए 1993 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसी प्रकार आगे चलकर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल ऑफ इंडिया आदि की स्थापना हुई।

उच्च शिक्षा में बहु-नियामक संस्थानों की स्थापना से कई बार विरोधाभासी निर्णय के कारण दुविधा की स्थिति का सामना संबंधित संस्थानों को करना पड़ता है। अति नियमन के कारण छात्रों को अनेक प्रकार की प्रक्रियात्मक जटिलताओं का दंश भी झेलना पड़ता है। बहु-नियामक संस्थाओं के बीच विसंगति के कारण छात्रों के भविष्य को लेकर संकट की स्थिति कई बार उत्पन्न होती रही है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा 2009 में प्रो. यशपाल कमेटी ने भी एकल नियामक संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की थी, जिससे विभिन्न प्रकार के संस्थानों के नियमन, प्रत्यायन, अनुदान तथा मानक निर्धारण के बीच समन्वय स्थापित किया जा सके।

भारत के अमृत काल के पावन अवसर पर विकसित भारत का निर्माण केवल भारत का स्वप्न नहीं, बल्कि यह संकल्प बन चुका है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए एक प्रभावी प्रयास के रूप में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम को लाया गया है। विकसित भारत का संकल्प भारत की आर्थिक प्रगति का आह्वान ही नहीं करता, बल्कि यह भारत के भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान का

उद्घोष भी करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह अधिनियम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह शिक्षा के संस्थागत या संरचनात्मक बदलाव के साथ ही साथ यह शिक्षा के संकल्पनात्मक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत में शिक्षा केवल ज्ञान का साधन या रोजगार प्राप्ति का माध्यम नहीं रही है। भारत में शिक्षा की योजना व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के साथ ही साथ युवा पीढ़ी के अंदर विश्वदृष्टि के विकास के लिए संकल्पित रही है। इस दृष्टि के साथ शिक्षा की योजना और रचना के द्वारा ही आज युगानुकूल परिवर्तन के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से संरचनात्मक चुनौतियों, असमान अवसरों, शोध-अनुसंधान में गुणवत्ता की

भारत में शिक्षा केवल ज्ञान का साधन या रोजगार प्राप्ति का माध्यम नहीं रही है। भारत में शिक्षा की योजना व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के साथ ही साथ युवा पीढ़ी के अंदर विश्वदृष्टि के विकास के लिए संकल्पित रही है।

कमी तथा रोजगारोन्मुख कौशल के अभाव से जूझती रही है। नई राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक ऐसे संस्थागत ढांचे की आवश्यकता थी, जो नीति, नवाचार और राष्ट्रीय मूल्यों को एकीकृत कर सके। ऐसी शिक्षा की संरचना तैयार करने के लिए इसके विभिन्न घटकों के बीच संवाद, समन्वय, सहभागिता पारदर्शिता और उत्तरदायित्व अपेक्षित था। इस दृष्टि से प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक में तीन पृथक परिषद- नियामक परिषद, गुणवत्ता/ प्रत्यायन परिषद और मानक परिषद की व्यवस्था की गई है। इनका उद्देश्य गुणवत्तायुक्त एवं समावेशी शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना, शोध नवाचार एवं भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहित करना, तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना, ग्रामीण वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सहायता तंत्र का विकास करना, बहु विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज केन्द्रित, राष्ट्र केन्द्रित तथा मानव केन्द्रित शिक्षा का प्रतिमान खड़ा करना है। अपने उद्देश्यों के अनुरूप यह विधेयक प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सके, इसके लिए संस्थानों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के साथ ही इनको उपर्युक्त उद्देश्यों के प्रति उत्तरदायी बनाने का भी प्रयास किया गया है।

विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि बिना अनुमति के कोई उच्च शिक्षा के संस्थान का संचालन करता है या नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर दस लाख रुपए से लेकर दो करोड़ रुपए तक जुर्माने का दंड लगाया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी दंडात्मक कार्यवाही का भार छात्रों पर नहीं डाला जाएगा। अधिनियम में इस प्रकार के प्रावधानों के माध्यम से स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम-2025 केवल एक विधिक अभिलेख नहीं, बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला एक संकल्प पत्र कहा जा सकता है, जो भारत की जीवन दृष्टि, संघर्ष नहीं समन्वय, निरीक्षण नहीं विश्वास, नियंत्रण नहीं नियमन, स्वच्छंदता नहीं आत्मानुशासन, दबाव नहीं प्रेरणा तथा अधिकार नहीं उत्तरदायित्व की भावना से अनुप्राणित है। विधेयक की भावना के अनुरूप इसे लागू करने की दिशा में चुनौतियां भी बहुत है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय एक गंभीर चुनौती है। वित्तीय संकट का सामना कर रहे संस्थान इसके उद्देश्यों के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए किस प्रकार सक्षम होंगे, यह भी एक विचारणीय विषय है। ऐसी स्थिति में इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे चुनाव आयोग की तरह एक स्वायत्त निकाय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है, जो गुणवत्ता निर्धारण, मानक निर्धारण और नियमन के साथ ही साथ वित्तीय दृष्टि से पूर्णतया सक्षम हो। ■

(लेखक अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।)

भारतीय शिक्षा के समग्र विकास की दिशा में सशक्त कदम

■ डा. मनीष दुबे

भारत में समय और परिस्थितियों की मांग के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन और उन परिवर्तनों को लागू करने का कार्य किया जाता रहा है। पिछले दशक में शिक्षा को वैश्विक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी नवाचार और भारतीय मूल्य-परक ज्ञान परंपरा के समन्वय के साथ पुनर्संरचित करने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इसी परिवर्तनकारी दृष्टि का प्रतिफल है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार अधोसंरचना, कौशल-आधारित कार्यक्रमों, शिक्षक प्रशिक्षण, शोध-संवर्धन और डिजिटल शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निरंतर निवेश कर रही है। वर्तमान केन्द्रीय बजट 2026-27 इस प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतिबिंब है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गत 1 फरवरी को पेश किए गए केन्द्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन किया गया है। बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए 55,727.22 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष (2025-26) के 50,078 करोड़ रुपए की तुलना में 11.28 प्रतिशत अधिक है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आवंटन 17440.00 करोड़ रुपए पर रखा गया है, जो 2025-26 के बजट आवंटन से 748.69 करोड़ रुपए (4.49 प्रतिशत) अधिक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को 2026-27 में 3709.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 के बजट आवंटन से 373.03 करोड़ रुपए (11.18 प्रतिशत) अधिक है।

बजट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को 2026-27 में 12123.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 के बजट आवंटन से 774.00 करोड़ रुपए (6.82 प्रतिशत) अधिक है। एनआईटी के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 6260.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे आवंटन में 62 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 2025-26 के लिए डीम्ड विश्वविद्यालयों को 572.53 करोड़ रुपए (10.07 प्रतिशत) आवंटित किए गए थे, जबकि 2026-27 में डीम्ड विश्वविद्यालयों को 650.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46 करोड़ रुपए (7.62 प्रतिशत) अधिक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को 2026-27 में 292.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2025-26 के आवंटन से 40.11 करोड़ रुपए (15.92 प्रतिशत) अधिक है। बजट के यह प्रावधान उच्च शिक्षा को अधिक विद्यार्थी-केन्द्रित, अनुसंधान-प्रधान और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य का सशक्त संकेत देते हैं। यह निवेश, आधुनिक प्रयोगशालाओं, कुशल संकाय, उद्योग-संयोजन और नवाचार संस्कृति के विस्तार में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगा।

उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट का मुख्य उद्देश्य नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए विद्यार्थियों में नवीन कौशल का विकास करना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास के लिए 17440 करोड़ रुपए

के आवंटन की बात की जाए या फिर आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को और अधिक विद्यार्थी केन्द्रित बनाने के लिए बजट में किए गए प्रावधान, यह सभी प्रयास शिक्षा के व्यापक विकास और गुणवत्ता सुधार के लिए सकारात्मक संकेत हैं जो भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर कार्य करने के लिए दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार करने और अधिक गुणवत्ता से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे।

बजट में 'Education to Employment and Enterprise' समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव शिक्षा को उद्योग, कौशल और उद्यमिता के साथ जोड़ने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे शिक्षा व्यवस्था सदैव प्रतिस्पर्धी, प्रासंगिक और समयोचित बनी रहेगी। यह प्रयास सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि रोजगार, शोध और उद्यम का माध्यम बने। अनुसंधान और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक्सीलेंस सेंटरों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता प्रदान करेगा।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) के लिए 2,200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाना छात्रों को डिजिटल शोध संसाधनों के उपयोग को आसान कर उन्हें सीधे तौर पर लाभ देगा तो अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए चार बड़े टेलीस्कोपिक इंफ्रास्ट्रक्चर केन्द्रों को अपग्रेड या स्थापित करने का निर्णय भारत को विश्व में इस क्षेत्र में अग्रणी करेगा। विदेशों में पढ़ाई का स्वप्न देखने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए विदेश पैसे भेजने पर लगने वाले कर (Tax Collected at Source) को भी पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो कि शिक्षा की नींव है, उस नींव को मजबूती प्रदान करने के लिए 83,561 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 6.35 प्रतिशत अधिक है। इस बजट में पीएमश्री स्कूलों के लिए 7,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं एवं लगभग 300 करोड़ रुपए प्राथमिक स्कूलों को 'स्मार्ट स्कूल' बनाने, डिजिटल बोर्ड और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरण से सुसज्जित करने के लिए रखे गए हैं। निश्चित्त रूप से यह विद्यालयों के आधुनिकीकरण जैसे स्मार्ट क्लासरूम तैयार करने और खेल सुविधाओं से युक्त "मॉडल स्कूल" के रूप में विकसित कर एक सस्ती, सुलभ एवं आधुनिक शिक्षा उपलब्ध करने की ओर एक सराहनीय कदम होगा।

बजट में बेटियों की शिक्षा को महत्व देते हुए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास की स्थापना करना प्रस्तावित है, जिससे सुविधाओं के अभाव में बेटियों की शिक्षा बीच में ना रुके। स्कूली शिक्षा से ही विद्यार्थियों को शोध और नवाचार से जोड़ते हुए तकनीकी रूप से उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए 3200 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला की स्थापना कर स्कूलों में विद्यार्थियों को एनीमेशन, विजुअल इफैक्ट्स, गेमिंग तकनीक आदि सीखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं अर्थात स्कूली शिक्षा से ही नई पीढ़ी को नवाचारी सोच एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करते हुए रोजारोन्मुखी एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य के लिए तैयार कर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट : 2026–27 भारत की विकास यात्रा को और सुदृढ़ करने वाला सिद्ध होता दिखाई देता है। शिक्षा मंत्रालय को अब तक का सबसे अधिक आवंटन प्रदान कर केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख आधार माना जा रहा है। स्कूली शिक्षा में पीएम-श्री स्कूल, स्मार्ट स्कूल, डिजिटल बोर्ड, कंटेंट क्रिएटर लैब और बालिका छात्रावास जैसे प्रावधान शिक्षा के आधुनिकीकरण, समानता और कौशल आधारित विकास को नई दिशा देंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बढ़ा हुआ आवंटन, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी-आईआईएम सहित शोध और नवाचार को प्रोत्साहन, विद्यार्थियों को भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। डिजिटल शिक्षा, 'वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन', एआई उत्कृष्टता केंद्र, अंतरिक्ष विज्ञान अवसंरचना और कौशल विकास समिति जैसे प्रयास शिक्षा को रोजगार, उद्यम और अनुसंधान से सीधे जोड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर यह बजट नई शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारतीय शिक्षा को सुलभ, आधुनिक, कौशल सम्पन्न और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ■

(लेखक इंदौर स्थित श्री वैष्णव कॉलेज ऑफआर्ट्स एंड कॉमर्स में वाणिज्य के सहायक प्राध्यापक हैं।)

शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के कौशल-रोजगार पर केन्द्रित प्रावधान सराहनीय : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने वित्त वर्ष 2026-27 के केन्द्रित बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार और युवाओं की सहभागिता को केंद्र में रखते हुए किए गए प्रावधान देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। विशेष रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में बजट आवंटन में निरंतर वृद्धि इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करने की दिशा में सकारात्मक कदम है।

अभाविप के अनुसार केन्द्रित बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,04,599 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में यह बढ़ोत्तरी न केवल अवसंरचना विस्तार में सहायक होगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

अभाविप, बजट में विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े प्रावधानों को महत्वपूर्ण मानती है। विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता मद में 2026-27 के लिए 83,562 करोड़ रुपए तथा उच्च शिक्षा के लिए 55,727 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है। समग्र शिक्षा, पीएम-श्री, पीएम-उषा जैसी योजनाओं के लिए किए गए प्रावधानों से शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और संस्थागत क्षमता को बल मिलेगा। प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए छात्रावास स्थापित करने का निर्णय उच्च शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगा।

अभाविप के अनुसार बजट में 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' पर केन्द्रित उच्चस्तरीय स्टैंडिंग कमेटी के गठन संबंधी प्रस्ताव युवाओं की रोजगारोन्मुखी तैयारी को संस्थागत आधार प्रदान करता है। साथ ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर के निकट पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का निर्णय शिक्षा-उद्योग समन्वय को सुदृढ़ करेगा। एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) क्षेत्र के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना से नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।

अभाविप युवाओं के लिए इंटर्नशिप और कौशल से जुड़े प्रावधानों को भी महत्वपूर्ण मानती है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत युवाओं को देश की अग्रणी कंपनियों में अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य रोजगार-तैयारी को व्यावहारिक आधार देगा। इसके अतिरिक्त, पीएम-यशस्वी, अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं में बढ़ा हुआ आवंटन सामाजिक न्याय और शैक्षिक समावेशन को सुदृढ़ करता है। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में चिकित्सा शिक्षा एवं मानव संसाधन के लिए बढ़ा हुआ प्रावधान तथा स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन जैसे कदम स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायक हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए आवंटन में वृद्धि से प्रशिक्षित स्वास्थ्य-कर्मियों की उपलब्धता बढ़ेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए समाचार पत्र पाठन अनिवार्य

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में रोजाना दस मिनट विद्यार्थी पढ़ेंगे समाचार पत्र

देश की नई पीढ़ी में इंटरनेट एवं डिजिटल स्क्रीन के बढ़ते आकर्षण को कम करने एवं उन्हें वास्तविक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल हुई है। पहल का आरम्भ उत्तर प्रदेश से हुआ, जिसका अनुकरण करने के लिए राजस्थान भी आगे आया है। गत दिसंबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया। राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में समाचार पत्र पाठन को अनिवार्य दैनिक गतिविधि के रूप में शामिल करने के दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र उपलब्ध कराने के साथ ही सुबह की प्रार्थना सभा के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन दस मिनट का समय समाचार पत्र पाठन के लिए निर्धारित किया जाए।

राज्य सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों में समाचार पत्र पढ़ने की आदत का विकास करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थी प्रमुख नगरीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और खेल समाचारों के पाठन से रोजाना नई-नई जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही उनमें भाषा, वाक्य विन्यास, शब्दावली का विकास हो सकेगा। राज्य सरकार का मानना है कि यह पहल विद्यार्थियों के ज्ञान, शब्दावली, समालोचक एवं आलोचनात्मक सोच, एकाग्रता और सामाजिक जागरूकता का विकास करेगी, जो उन्हें प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में मदद करेगा। राज्य सरकार की योजना समाचार पत्र पढ़ने के साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी है। विद्यालयों में स्वयं के समाचार पत्र या पत्रिकाओं का प्रकाशन, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मध्य संपादकीय आधारित लेखन, समूह चर्चा का आयोजन करने के साथ समाचार पत्र पर आधारित अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को समाचार पत्र पाठन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विद्यालयों में समाचार पत्र पाठन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल का अनुकरण राजस्थान सरकार ने भी किया है। राजस्थान सरकार ने भी नए वर्ष के अवसर पर राज्य के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में जारी शिक्षा व्यवस्था में समाचार पत्र पाठन सम्बन्धी निर्णय को लागू कर दिया। राज्य के विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से गत 31 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया कि प्रत्येक सरकारी विद्यालय में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान दस मिनट का समय समाचार पत्र पाठन के लिए निर्धारित किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजाना की घटनाओं, देश-विदेश में होने वाले बदलावों और समाज से सम्बंधित मुद्दों से जोड़ना है। समाचार पत्र पाठन की यह पहल विद्यार्थियों को डिजिटल स्क्रीन से दूर रखकर ज्ञान की ओर ले जाने का एक प्रयास है। समाचार पत्र पाठन से विद्यार्थियों की पढ़ने की गति, समझ और भाषा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने विद्यालयों को यह निर्देश भी दिए हैं कि विद्यार्थियों को कक्षा के अनुसार छोटे-छोटे समूहों में बांटकर समाचार पत्र के संपादकीय लेख, देश-विदेश के समाचारों और खेल जगत से जुड़ी घटनाओं पर चर्चा कराई जाए। इस दौरान शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें अपने विचार खुलकर सामने रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनमें तर्क करने के साथ ही सही-गलत को समझने की क्षमता का भी विकास होगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर मंथन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) एवं मेटा बिजनेस पार्टनर के सहयोग से उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित गांधी सभागार में किया गया। शिक्षा, तकनीक और नवाचार से जुड़े कई प्रतिष्ठित अतिथियों के साथ संगोष्ठी की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्राध्यापक मुकेश पांडेय ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही उपस्थित रहे। विभिन्न क्षेत्रों से आए विशिष्ट अतिथियों ने संगोष्ठी के माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूक किया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि घनश्याम शाही ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वह केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने संगठन, नेतृत्व और अनुशासन को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण भी है।

संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु प्राध्यापक मुकेश पांडेय ने विश्वविद्यालय में हो रहे नवाचारों और शैक्षणिक सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे।

संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि रहीश सिंह ने बताया कि तकनीक क्षेत्र में भारतीयों का लोहा हर कोई मान रहा है। विश्व के सभी देश भारत को एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। छात्रों को बदलते परिवेश के लिए तैयार रहना होगा एवं शिक्षा एवं नवाचार के माध्यम से भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाना है।

इस मौके पर विशिष्ट अतिथि एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक ओमकार राय ने तकनीकी शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटल युग में कौशल आधारित शिक्षा अत्यंत आवश्यक है और विद्यार्थियों को बदलती तकनीकों के साथ स्वयं को लगातार अपडेट रखना चाहिए। उन्होंने स्टार्टअप संस्कृति को अपनाने और नवाचार की दिशा में कार्य करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। संगोष्ठी में भारतीय सेना की तकनीकी शाखा से जुड़े मेजर अभिरूप डे ने कहा कि वह विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर एआई आधारित समस्याओं को लेकर काम करना चाहते हैं, जिससे तकनीक आधारित युद्ध की समस्याओं को समाधान मिल सके।

मेटा बिजनेस पार्टनर फैज ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ऑनलाइन माध्यम युवाओं के लिए असीम संभावनाएं लेकर आए हैं। सही दिशा और रणनीति के साथ डिजिटल दुनिया में भी शानदार करियर बनाया जा सकता है।

संगोष्ठी में प्राध्यापक डी. के. भट्ट ने अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए संस्थान की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने छात्रों से अनुसंधान और प्रायोगिक शिक्षा पर ध्यान देने की अपील की, ताकि वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। संगोष्ठी में विषय प्रस्तावना डा. प्रियंका पांडे ने रखी, जबकि संचालन डा. अनुपम व्यास ने किया। संगोष्ठी में कैप्टन हितेश गौतम,बृजेश मिश्रा (प्रांत अध्यक्ष), मनीष राय (प्रांत संगठन मंत्री), तरुण बाजपेई (सह-प्रांत संगठन मंत्री), निर्भय (विभाग संगठन मंत्री), आकाश राजपूत (जिला संगठन मंत्री), विवेक सिंह (महानगर अध्यक्ष), विभागाध्यक्ष डा. शशिकांत, डा. अवधेश गौड़ सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अतिथियों के विचारों से प्रेरणा प्राप्त की। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। बिहार ।

बांग्लादेशी वक्ताओं को बुलाने का अभाविप ने किया विरोध

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम- उषा) के तहत आवंटित राशि के उपयोग को लेकर राज्य के मधेपुरा स्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में विवाद बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कुलगुरु पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम-उषा योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्राप्त लगभग 44 लाख रुपए की राशि का उपयोग शैक्षणिक उन्नयन के स्थान पर ऐसे कार्यक्रमों में किया जा रहा है, जो विभाजनकारी और उग्र विचारधाराओं को बढ़ावा दे रहा है। अभाविप ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार की गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं।

अभाविप के प्रदेश सह मंत्री शिवजी कुमार ने कहा कि एक ओर पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय द्वारा बांग्लादेश से जुड़े वक्ताओं को आमंत्रित करना विश्वविद्यालय प्रशासन की सोच पर प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे वक्ता बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर बोलेंगे ? यह एक बड़ा प्रश्न है। अभाविप ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करेगी जो राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत हो। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भवेश झा ने कहा कि बांग्लादेश और फिलिस्तीन जैसे देशों से वक्ताओं को बुलाने का निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन की मानसिकता को दर्शाता है। जब पूरा देश इन मुद्दों को लेकर संवेदनशील है, तब शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार के कार्यक्रम गंभीर चिंता का विषय हैं। अभाविप मांग करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रकरण में सार्वजनिक और स्पष्ट स्पष्टीकरण दे और यदि ऐसा नहीं किया गया, तो अभाविप राष्ट्रीय हित और शैक्षणिक गरिमा की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं निर्णायक आंदोलन करने को बाध्य होगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भगवा ध्वज

■ डा. मूलचन्द्र सिंह

भारतीय सभ्यता में प्रतीकों की भूमिका केवल सौंदर्यात्मक नहीं रही है, बल्कि वह समाज की सामूहिक चेतना, मूल्य-व्यवस्था और जीवन-दृष्टि को अभिव्यक्त करते हैं। ध्वज, रंग और चिह्न किसी भी समाज के इतिहास, आदर्शों और भविष्य-दृष्टि को संक्षेप में सामने रखता है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में भगवा (केसरिया) रंग को वैराग्य, तपस्या, त्याग, शौर्य और राष्ट्रधर्म का प्रतीक माना गया है। इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के साथ ही भगवा ध्वज को संगठन के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में स्वीकार करके उसे 'गुरु' के स्थान पर रखा। यह निर्णय केवल प्रतीकात्मक न होकर संघ की वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक निरंतरता और मूल्य-आधारित नेतृत्व की अवधारणा को दर्शाता है।

भगवा ध्वज का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य

भगवा रंग का उल्लेख वैदिक, औपनिषदिक तथा पौराणिक साहित्य में प्राप्त होता है। यह रंग संन्यास, आत्मसंयम और लोककल्याण का सूचक माना गया है। मध्यकालीन भारत में भगवा ध्वज ने राजनीतिक और सैन्य आयाम भी ग्रहण किया। मराठा परंपरा में यह 'स्वराज्य, स्वाभिमान और संघर्षशीलता' का प्रतीक बना। शिवाजी महाराज के स्वराज आंदोलन में भगवा ध्वज आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की आकांक्षा का दृश्य प्रतीक था। इस प्रकार भगवा ध्वज ने आध्यात्मिक पवित्रता और सामाजिक-सांस्कृतिक साहस दोनों को आत्मसात किया।

संघ की स्थापना और वैचारिक आधार

1925 में नागपुर में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित और सशक्त कर राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। संघ संस्थापक डा. केशवराव बलिराम हेडगेवार ने संघ की संकल्पना सांस्कृतिक राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित की, जिसका केंद्रबिंदु सत्ता या राजनीति नहीं, बल्कि चरित्र-निर्माण और समाज-संगठन रहा। संघ की वैचारिक विशेषता यह रही कि उसने 'व्यक्ति-पूजा के स्थान पर ध्येय निष्ठा' आधारित कार्य संस्कृति विकसित की है। इसी विचार के अनुरूप भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे संगठन किसी एक व्यक्ति, पद या वंश पर निर्भर न होकर मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित बना रहे।

भगवा ध्वज 'गुरु' की अवधारणा

संघ की शाखाओं में भगवा ध्वज का पूजन केवल एक औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह स्वयंसेवकों के लिए नैतिक अनुशासन और आत्मस्मरण की प्रक्रिया है। यह उन्हें बोध कराता है कि वह किसी नेता या पद के नहीं, बल्कि 'राष्ट्र, समाज और सांस्कृतिक मूल्यों' के प्रति उत्तरदायी हैं।

'ध्वज-गुरु' की अवधारणा संगठन में 'अनुशासन, निरंतरता और वैचारिक स्थायित्व' बनाए रखने में सहायक रही है। नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद संघ की कार्यशैली और उद्देश्य में निरंतरता बनी रहती है, जो आधुनिक संगठनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है।

सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक

भगवा ध्वज संघ के लिए सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। शाखाओं में 'जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति' के भेदभाव के बिना सभी स्वयंसेवक एक ही ध्वज के नीचे एकत्र होते हैं। यह अभ्यास भारतीय समाज में समानता, बंधुत्व और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करता है। संघ द्वारा संचालित सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकार, ग्रामीण विकास और आपदा राहत जैसे कार्य इसी समरस दृष्टि से प्रेरित होते हैं, जहां सेवा को धर्म और राष्ट्रसेवा को कर्तव्य माना जाता है।

भगवा ध्वज की प्रासंगिकता

वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद और भौतिकतावाद के इस युग में भगवा ध्वज 'त्याग, संयम और कर्तव्यबोध' की याद दिलाता है। संघ के माध्यम से यह प्रतीक युवाओं को 'अनुशासन, समाजसेवा और नैतिक नेतृत्व' से जोड़ने का कार्य कर रहा है।

आज जब व्यक्तिवाद और त्वरित लाभ की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भगवा ध्वज दीर्घकालिक राष्ट्रनिर्माण और सामूहिक चेतना का संदेश देता है। इस दृष्टि से यह प्रतीक अतीत का अवशेष नहीं, बल्कि 'वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा' है।

सामान्य प्रचलित विमर्श

आधुनिक राजनीतिक विमर्श में भगवा ध्वज को कई बार सांप्रदायिक या राजनीतिक प्रतीक के रूप में देखा गया है। आलोचकों का तर्क है कि इसका प्रयोग धार्मिक पहचान को राजनीतिक रूप प्रदान करता है। इसके विपरीत संघ का मानना है कि भगवा ध्वज किसी संप्रदाय विशेष का नहीं, बल्कि 'भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रीयत्व' का प्रतीक है। अकादमिक दृष्टि से यह बहस भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति-'सांस्कृतिक बनाम राजनीतिक राष्ट्रवाद' को समझने में सहायक है और यह विषय समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान दोनों में गहन अध्ययन की मांग करता है।

अंततः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भगवा ध्वज का संबंध केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि 'वैचारिक, नैतिक और संगठनात्मक प्रेरणा' का है। भगवा ध्वज संघ के लिए एकता, अनुशासन, त्याग और राष्ट्रसेवा का जीवंत प्रतीक है। ऐसे में भगवा ध्वज को 'भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक परंपरा और राष्ट्रनिर्माण की दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया' के संदर्भ में समझना अधिक समीचीन और अकादमिक रूप से संतुलित दृष्टिकोण होगा। ■

(लेखक दिल्ली स्थित मोतीलाल नेहरू कालेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक हैं।)

अभाविप ने स्थगन आदेश का किया स्वागत

उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता संवर्धन हेतु) विनियम-2026 पर दिए गए स्थगन आदेश का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने स्वागत किया है। स्थगन आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभाविप ने कहा कि यह आदेश देशभर में यूजीसी समता नियमों में अस्पष्टता को लेकर चल रही भ्रांति को रोकते हुए संवैधानिक समता और समानता के अंतर्निहित मूल्यों के पक्ष में महत्वपूर्ण है और यह आदेश अभाविप द्वारा उक्त विषय पर जारी वक्तव्य में यूजीसी नियमों पर स्पष्टीकरण की मांगों के भी अनुरूप है।

अभाविप का मानना है कि यूजीसी और सभी शैक्षणिक संस्थानों को लोकतंत्र की उस अंतर्निहित भावना को अक्षुण्ण रखना चाहिए, जहां प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार हों और भारत भेदभाव मुक्त तथा समतायुक्त बने। यह बात अभाविप ने अपने पूर्व वक्तव्य में भी स्पष्ट करते हुए जारी किए गए विनियम पर स्पष्टता और संतुलन बनाए रखने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इस निर्णय की काफी आवश्यकता थी क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में इस विनियम को लेकर काफी भ्रांति भी फैली थी, जिससे विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य वैमनस्य पैदा होने की आशंका थी।

अभाविप का यह स्पष्ट मत है कि शैक्षिक परिसर में सदैव ही सकारात्मक, भेदभावमुक्त एवं समतायुक्त परिवेश रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। अभाविप सदैव से शैक्षणिक परिसरों में समता, सौहार्द एवं समान अवसरों की पक्षधर रही है। यूजीसी द्वारा जारी किए गए विनियमों में स्पष्टता एवं संतुलन का अभाव छात्रों के बीच भ्रम और असंतोष को जन्म दे सकता है। न्यायालय का यह हस्तक्षेप समयोचित है और इससे संवाद एवं विमर्श के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। अभाविप सभी वर्गों, छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों से अपील करती है कि वह शांति, संयम और सौहार्द बनाए रखें तथा राष्ट्रहित में रचनात्मक संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। दिल्ली ।

विधि विद्यार्थियों के लिए सशक्त अवसर है डा. भीमराव आंबेडकर लॉ इंटर्नशिप

दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित शंकरलाल सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) नीत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ, अभाविप विधि संकाय एवं अधिवक्ता परिषद दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में डा. भीमराव आंबेडकर लॉ इंटर्नशिप 4.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विधि विद्यार्थियों को व्यावहारिक न्यायिक अनुभव से जोड़ना तथा उन्हें इंटर्नशिप की प्रक्रिया, उद्देश्य एवं महत्व से अवगत कराना था। कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी, अधिवक्ता परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीहरि बोरिकर, अधिवक्ता परिषद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संजय पोद्दार, अभाविप राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कु. शिवांगी खरवाल एवं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष आर्यन मान उपस्थित रहे।

गत 9 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में सूचित किया गया कि इस पहल के अंतर्गत अब तक दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं के अधीन 150 से अधिक तथा दिल्ली के विभिन्न जिला न्यायालयों में 300 से अधिक विधि विद्यार्थियों को इंटर्नशिप प्रदान की जा चुकी है। कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि डा. भीमराव आंबेडकर लॉ इंटर्नशिप विधि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है, जो उन्हें न केवल सैद्धांतिक ज्ञान बल्कि न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों एवं व्यावसायिक दक्षता से भी जोड़ता है। यह पहल युवाओं को सामाजिक न्याय एवं राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

अभाविप चलाएगी 'छात्रावास सर्वेक्षण अभियान'

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की दो दिवसीय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गोवा के जांबावली स्थित श्री दामोदर संस्थान में गत 17 एवं 18 जनवरी को आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 15 फरवरी से 15 मार्च तक देशभर में 'छात्रावास सर्वेक्षण अभियान' के माध्यम से छात्रावासों की वास्तविक स्थिति को सामने लाकर नीतिगत सुधार की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। इसी क्रम में वंदे मातरम् के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 23 मार्च से 15 अगस्त तक देशभर के शैक्षिक परिसरों में 'परिसर-परिसर वंदे मातरम्' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से युवाओं में देशप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया जाएगा। इसके साथ ही संघ शताब्दी वर्ष, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती, महारानी अब्बक्का का 500वां राज्यारोहण वर्ष, गुरु तेग बहादुर का 350वां बलिदान दिवस, यशवंतराव केलकर जन्मशती वर्ष, जैसे ऐतिहासिक एवं प्रेरक अवसरों को केंद्र में रखकर देशभर में विविध शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा।

अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन रीजनल अंडरस्टैंडिंग (SERU) प्रकल्प के तहत लद्दाख के विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकात्मता का भाव भरने के लिए SERU यात्रा-2026 का आयोजन आगामी 26 फरवरी से 9 मार्च के मध्य होगा। इसमें लद्दाख से आए विद्यार्थियों को उत्तरक्षेत्र के विभिन्न राज्यों में भ्रमण के माध्यम से जीवन-शैली व लोक संस्कृति की अनुभूति कराई जाएगी। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां, छात्रसंघों की भूमिका एवं छात्रसंघ चुनाव सुधारों को लेकर देशभर के छात्रसंघ पदाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।

उन्होंने बताया कि बैठक के माध्यम से अभाविप ने आगामी समय के लिए संगठनात्मक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यों की स्पष्ट दिशा निर्धारित कर दी है। यह बैठक केवल समीक्षा की नहीं, बल्कि भविष्य की कार्ययोजनाओं को ज़मीन पर प्रभावी रूप से उतारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। बैठक में संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका को स्पष्ट करने तथा छात्रहित से जुड़े विषयों पर ठोस हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सहमति बनी है। राष्ट्रव्यापी अभियानों के माध्यम से अभाविप विद्यार्थियों के समग्र विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना को सशक्त करने का कार्य करेगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

सुधी पाठकों!

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' फरवरी-2026 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों एवं खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

9th National Symposium on Landmark Judgements-2025

READING THE LAW BEYOND THE TEXT

Think India organised its 9th National Symposium on Landmark Judgements of 2025 on January 4, 2026, at the Prime Minister's Museum and Library, Teen Murti Bhawan, New Delhi, bringing together some of the country's most eminent jurists, senior advocates, law officers, academicians and students to critically examine judicial pronouncements that shaped Indian constitutional and legal discourse in 2025.

Convened under the leadership of National Convenor Vijjual Mangat Pundir and National Co-convener Geetika Shukla, the symposium was supported by academic and media partners including All India Reporter (Nagpur), Dr. B. R. Ambedkar National Law University (DBRANLU) (Sonipat), Mohan Law House, The Print and Chhatra Kalyan Nyas (Delhi), reflecting a collaborative commitment to strengthening constitutional consciousness. The inaugural session laid a strong philosophical foundation, with Padma Shri C. S. Vaidyanathan emphasising that courts must remain the last resort for balancing rights and duties. His remarks were complemented by Pro. (Dr)Devinder Singh, Vice-Chancellor of DBRANLU, who highlighted the pivotal role of legal education in shaping competent lawyers and judges, while Additional Solicitor General S. D. Sanjay inspired young practitioners by appreciating Think India's efforts to cultivate a nation-first outlook within the legal community. Central to the symposium were in-depth discussions on four landmark cases, beginning with the Lawyer Summoning Case, which examined professional conduct and the delicate relationship between the Bar and the Bench, where Senior Advocate Siddhartha Dave reflected candidly on the long gestation of a legal career, and Senior Advocates A.S. Nadkarni and Vijay Hansariya analysed the constitutional and practical dimensions of

judicial authority.

The Pragya Singh Thakur Case provoked introspection on terrorism prosecutions and investigative integrity, with Special Public Prosecutor Rahul Tyagi observing that the acquittal was not a failure of prosecution, but a vindication of the criminal justice system, lamenting that the deeper tragedy lay in the real culprits remaining unidentified even after seventeen years, while Advocate Ayush Anand warned against the politicisation of investigations, stressing that justice becomes the first casualty when law is used as a political tool. The Judiciary Three-year Practice Case sparked discussion on judicial preparedness, with Mahendra Singh asserting in Hindi that one who has not stood in court cannot be ready to sit on the bench and Swati Ghidiyal explaining that a mandatory period of practice equips aspirants to make informed and conscious career choices rather than confused ones. The Powers of Governor Case revisited constitutional balance and federalism, with Shravan Yammanur asserting that the Governor is a constitutional sentinel rather than a rubber stamp, a sentiment echoed by Senior Advocate Sanjay Ghose, who cautioned against reducing constitutional offices to political impediments.

The valedictory session elevated the symposium from case analysis to constitutional reflection, as Additional Solicitor-General Archana Pathak Dave remarked that a judgment becomes landmark when it reflects the needs of its time, describing dissent as the safety wall of democracy and urging young minds to think aloud, as today's doubts often become tomorrow's doctrines. Justice Saurabh Banerjee reinforced this idea by stating that a judgment becomes landmark not when it is delivered but when it is truly understood, advising students and practitioners alike to read judgments beyond headnotes and listen to what the law is attempting to convey. Attorney-General R. Venkataramani offered profound reflections, observing that courts speak not merely through orders, but to the conscience of the nation and that a judgment attains landmark status only when it transforms how society perceives life, not merely how lawyers interpret statutes, reminding the audience that rights are born in social conscience and that while a practising lawyer survives in a nation, a thinking lawyer helps build it. Addressing contemporary challenges, he warned that democracy survives not merely on votes but on public attentiveness, identifying the theft of attention as one of the gravest threats of the modern age and cautioned that while artificial intelligence may process data, only human conscience can safeguard liberty.

Ashish Chauhan further highlighted the role of students in shaping the future of law, stating that great ideas often begin as student conversations and mature into national movements and that disciplined thought ultimately shapes legal destiny. Overall, the symposium stood as a testament to Think India's sustained commitment to fostering rigorous legal dialogue, bridging theory with practice and nurturing a generation of lawyers and scholars who engage with constitutional values not merely as text, but as living principles guiding India's democratic journey. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

Supreme Stamp on the Right to Life

■ **Dr. Priya Sharma**

Ritumati, a menstrual health awareness drive with a broader vision of holistic women empowerment, was launched in 2017-18 as part of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad's call for youth participation in national reconstruction through its "Campus to Community" initiative. Conceived within the framework of the world's largest student organisation, Ritumati created a bridge between educational institutions and grassroots realities by engaging students as Campus Ritumati Ambassadors, enabling them to directly interact with communities, collect and distribute menstrual hygiene products and sensitise peers on menstrual health.

This decentralised ambassador model further expanded into Basti-Ritumati Ambassadors from local and slum communities- who serve as direct facilitators of menstrual health awareness, organise community programmes and coordinate sessions with gynaecologists, ensuring that information and services reach those most in need. At its core, Ritumati represents a deliberate shift from stigma to sensitisation and from stereotypes to social engagement, grounded in a three-pronged approach of Awareness, Accessibility and Affordability (3A).

The relevance of this approach becomes evident against the stark realities of period poverty in India, where UNICEF reports that nearly 75 percent of adolescent girls remain unaware of menstruation until menarche and NFHS-4 data shows that 62 percent of young women aged 15-24 still rely on cloth during menstruation. Limited access to sanitary products has also been identified as a significant factor contributing to school dropouts, as highlighted in a 2018 report, underscoring how menstrual health directly impacts education, dignity and gender equity.

By addressing these gaps, Ritumati has expanded the scope of women empowerment and reinforced the understanding that menstrual health management is fundamental to the realisation of a dignified life, encouraging a collective sense of responsibility that balances rights with duties

and shifts the focus from individual concerns to societal well-being.

This grassroots vision has now received powerful constitutional validation through a landmark judgement of the Supreme Court of India, which held that the right to menstrual hygiene is an integral and fundamental component of the right to life and dignity under Article-21 of the Constitution and cannot be realised without access to education as guaranteed under Article-21A. The Court recognised the inextricable link between the absence of menstrual hygiene management measures and absenteeism among schoolgirls, observing that inadequate facilities violate the right to privacy and bodily autonomy and hinder the attainment of the highest standards of sexual and reproductive health. Moving beyond acknowledgment, the Court mandated time-bound institutional and infrastructural reforms, directing that within three months all government and private schools across rural and urban India must ensure free distribution of oxo-biodegradable sanitary napkins, availability of gender-segregated toilets with water and soap, safe disposal mechanisms and dedicated menstrual hygiene management corners equipped with spare uniforms and disposable bags to address menstrual exigencies.

In articulating that dignity cannot remain an abstract ideal but must be reflected in conditions that allow individuals to live without humiliation, exclusion or suffering, the Supreme Court addressed the deep-rooted stigma and stereotyping that have historically shaped women's experiences from childhood through adulthood and reaffirmed menstrual health as central to gender equality and empowerment. This judicial recognition also resonates with India's complex cultural relationship with menstruation, where traditions such as the Ambubachi Mela at the Kamakhya Shakti Peetha in Assam celebrate menstruation as a symbol of fertility and divinity, yet societal taboos persist due to lack of scientific understanding and awareness.

Menstruation continues to be treated as a myth rather than a natural biological process, with severe consequences for women's health and education, as reflected in NFHS 2019–21 data showing female literacy at 71.5 percent compared to 84.4 percent for men, high dropout rates linked to menstruation-related challenges and only 41 percent of women completing ten or more years of schooling. Health indicators further reveal structural neglect, with 57 percent of women aged 15-49 suffering from anemia, contributing to nearly 20 percent of maternal deaths and adversely affecting maternal and neonatal health.

Against this backdrop, the Supreme Court's directions to SCERT and NCERT to train teachers and incorporate gender-responsive curricula on puberty, menstruation, PCOD, PCOS and reproductive health mark a crucial step toward normalising dialogue and fostering informed sensitisation from an early age. The convergence of initiatives like Ritumati and constitutional mandates reflects India's evolving understanding of development, aligning grassroots participation with institutional responsibility and national goals such as Viksit Bharat-2047 and Sustainable Development Goal 5 on Gender Equality.

Menstruation, long relegated to whispers and shame, must now be recognised as a shared societal responsibility rather than a women-centric issue and community-driven, bottom-up models like Ritumati deserve recognition for translating awareness into action and policy into practice. As India moves forward, sustained collective effort supported by constitutional resolve has the potential to ensure that every woman lives with dignity, health and equality, making this moment not merely a legal milestone but a defining step in the nation's journey from taboo to true development and from stigma to societal sensitisation. ■

(The author is an Assistant Professor at Indraprastha College for Women, Delhi)

विद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश स्वागतयोग्य

उच्चतम न्यायालय द्वारा देश के समस्त विद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता, कार्यात्मक शौचालयों एवं मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता सुनिश्चित करने संबंधी दिए गए निर्देशों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने स्वागत किया है। अभाविप का मानना है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता को अनुच्छेद-21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार तथा अनुच्छेद-21(ए) के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार से जोड़कर देखना नारी स्वास्थ्य, गरिमा एवं शैक्षिक निरंतरता की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णय है।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का स्वागत करते हुए अभाविप ने कहा कि अभाविप लंबे समय से यह स्पष्ट मांग करती आ रही है कि मासिक धर्म स्वच्छता को किसी सामाजिक संकोच या कलंक के रूप में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सम्मान एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की उपलब्धता के दायित्व के रूप में देखा जाना चाहिए। आज भी देश के अनेक क्षेत्रों में सैनिटरी सुविधाओं के अभाव में छात्राएं विद्यालय छोड़ने को विवश होती हैं अथवा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय ऐसे सभी अवरोधों को दूर करने की दिशा में एक सशक्त संवैधानिक हस्तक्षेप है, जो सामाजिक न्याय एवं लैंगिक समानता को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

जानकारी हो कि अभाविप द्वारा बीते कई वर्षों से शैक्षणिक संस्थानों तथा समाज में महिला स्वास्थ्य तथा मासिक धर्म संबंधी जागरूकता के लिए संचालित 'ऋतुमति अभियान' ने इस संबंध में व्यापक जागरूकता की दिशा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। ऋतुमति अभियान के माध्यम से अभाविप देशभर में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ लाखों वंचित महिलाओं एवं बालिकाओं तक निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने का कार्य कर रही है। अभियान के अंतर्गत समय-समय पर अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण किए गए हैं, जिनके माध्यम से जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाती रही हैं। इन पहलों के माध्यम से शैक्षणिक परिसरों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना, स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालयों की उपलब्धता तथा छात्राओं के स्वास्थ्य एवं गरिमा से जुड़े विषयों को अभाविप ने सदैव राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में रखा है।

इसी क्रम में अभाविप द्वारा फरवरी-मार्च 2025 में देशभर में छात्रा सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 38,072 छात्राओं ने सहभागिता की। यह सर्वेक्षण शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वावलंबन, इन चार प्रमुख विषयों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य छात्राओं के जीवन से जुड़े इन पहलुओं का वास्तविक आकलन करना था। इसके अतिरिक्त, अभाविप ने 10 मार्च 2025 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय छात्रा संसद के माध्यम से महिला स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वावलंबन से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा कर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मांग-पत्र सौंपा था। इस मांग-पत्र में शैक्षणिक संस्थानों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की अनिवार्यता तथा विद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ एवं पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रमुख मांग सम्मिलित थी।

अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री क्षमा शर्मा के अनुसार मासिक धर्म स्वच्छता केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि छात्राओं की गरिमा, आत्मसम्मान और शिक्षा से निरंतर जुड़ाव का प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय का यह निर्देश देश की करोड़ों बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है और अभाविप द्वारा वर्षों से किए जा रहे प्रयासों को संवैधानिक समर्थन प्रदान करता है। अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री पायल किनाके के अनुसार उच्चतम न्यायालय का निर्देश विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के दैनिक जीवन से जुड़ी एक व्यावहारिक आवश्यकता को पहचानता है। इससे शिक्षा के मार्ग में आने वाली अनावश्यक बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलेगी। अभाविप इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जनजागरूकता, संस्थागत सहयोग एवं सामाजिक संवेदनशीलता को मजबूत करने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

विश्वविद्यालयकर्मियों की शैक्षणिक योग्यता संदेह के घेरे में, जांच के लिए अभाविप ने दिया ज्ञापन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने हरियाणा के जींद स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता एवं डिग्रियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर अभाविप ने गत 16 जनवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। अभाविप के विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष राहुल कक्कड़ के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत कुछ शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की डिग्रियों एवं नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर संदेह का वातावरण बना हुआ है। अभाविप मांग करती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच समिति का गठन करके सभी कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यताओं, डिग्रियों एवं प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच करे। कारण यह है कि विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थान में पारदर्शिता, योग्यता और नैतिक मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोहन सैनी के अनुसार जांच के दौरान यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति फर्जी डिग्री या नियमों के विपरीत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे न केवल विश्वविद्यालय में पारदर्शिता स्थापित होगी बल्कि योग्य एवं मेहनती कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। यदि इस मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो अभाविप छात्रहित में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। बिहार ।

गर्ल्स हॉस्टल में हुए बलात्कार के मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) दक्षिण बिहार ने पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई बलात्कार की घटना को अमानवीय एवं हृदयविदारक बताया है। अभाविप ने निंदा करते हुए कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने के साथ ही राजधानी पटना में छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है। पीड़िता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अभाविप ने घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

अभाविप दक्षिण बिहार प्रांत मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि यह केवल एक छात्रा पर हमला नहीं, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर हमला है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि पीड़िता को समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी। पीड़िता के इलाज में प्रभात मेमोरियल अस्पताल द्वारा घोर लापरवाही बरती गई, साथ ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना हॉस्टल प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसमें वह पूरी तरह विफल रहे हैं। ऐसे में पुलिस-प्रशासन को मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। साथ ही घटना की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, ताकि समाज में स्पष्ट और कड़ा संदेश जा सके। अभाविप ने सरकार से मांग की है कि घटना में लिप्त दोषियों अविलंब गिरफ्तार कर ठोस कार्रवाई की जाय नहीं तो अभाविप व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पर्यावरण, सेवा एवं चिकित्सा पर विभिन्न इंटर्नशिप कार्यक्रमों का आयोजन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में लगाए गए माघ मेला शिविर का वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पूजा-अर्चना के उपरांत भव्य उद्घाटन अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। शिविर उद्घाटन के पश्चात विकासार्थ विद्यार्थी एवं सेवार्थ विद्यार्थी इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत हुडी एवं पोस्टर का विमोचन संपन्न हुआ। साथ ही मेडिकल विद्यार्थियों द्वारा संचालित चिकित्सीय सेवा कार्यक्रम की भी घोषणा की गई।

जानकारी हो कि अभाविप प्रयाग महानगर द्वारा प्रत्येक वर्ष संगम परिक्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न इंटर्नशिप कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देशभर से आने वाले विद्यार्थी प्रयागराज आकर पर्यावरण, सेवा एवं अन्य सामाजिक विषयों पर कार्य करते हैं। इस वर्ष माघ मेला में पर्यावरण संरक्षण एवं माघ मेला को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से विकासार्थ विद्यार्थी, सेवा कार्य के सेवार्थ विद्यार्थी, चिकित्सीय एवं उपचार सेवा के लिए मेडिविजन तथा जिज्ञासा जैसे आयामों एवं गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न इंटर्नशिप कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रयागराज माघ मेला शिविर के उद्घाटन समारोह में गत 10 जनवरी को मुख्य अतिथि एवं अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने विभिन्न आयामों, प्रकल्पों एवं गतिविधियों के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम एवं आगामी इंटर्नशिप के लिए शुभकामनाएं प्रेषित हुए कहा कि भारत की 75 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा में अभाविप जैसा छात्र संगठन केवल पश्चिमी परिभाषाओं में गढ़ी गई 'न्यूट्रल' या 'सेक्यूलर' अवधारणाओं तक सीमित नहीं हो सकता।

भारत की संस्कृति और दर्शन को यूरोपीय 'रिलिजन' की संकीर्ण परिभाषा से नहीं समझा जा सकता। विदेशी आक्रमणों एवं मैकाले पद्धति के माध्यम से भारतीय भाषा, ज्ञान और संस्कृति पर गहरे प्रहार हुए, जिससे भारतीय समाज में अपने ही मूल्यों के प्रति हीन भाव उत्पन्न हुआ। भारतीय दर्शन साकार और निराकार के समन्वय के माध्यम से चराचर जगत में ईश्वर की अनुभूति कराता है और यही भाव हमारी सामाजिक चेतना, संवेदना एवं सेवा की परंपरा का मूल आधार है। माघ मेले के दौरान अभाविप के विभिन्न आयामों, कार्यों एवं गतिविधियों द्वारा इंटर्नशिप का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर विकासार्थ विद्यार्थी के अखिल भारतीय प्रमुख राहुल गौड़, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही, काशी प्रांत उपाध्यक्ष प्रा. आभा त्रिपाठी, प्रांत संगठन मंत्री अभिलाष, प्रांत मंत्री शिवम सिंह, प्रांत सह-मंत्री निवेदिता, प्रांत विकासार्थ विद्यार्थी प्रमुख सहायक आचार्य प्रमोद तथा प्रांत विकासार्थ विद्यार्थी संयोजक सुशील भी उपस्थित रहे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

कार्यकर्ताओं की मौत के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय स्वागतयोग्य : अभाविप

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में स्थित दारिविट हाई स्कूल में हुई हिंसक घटना के दौरान पुलिस फायरिंग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)के दो कार्यकर्ताओं, राजेश सरकार और तापस बर्मन की मृत्यु संबंधी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच को बरकरार रखने सम्बन्धी निर्णय का अभाविप ने स्वागत किया है। अभाविप का मानना है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह निर्णय न्याय और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभाविप ने कहा कि 2018 में हुई हिंसक घटना में वह आरम्भ से ही निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की निरंतर मांग करती आ रही थी क्योंकि पश्चिम बंगाल की भ्रष्ट सरकार की विश्वसनीयता गंभीर रूप से संदिग्ध थी। 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एनआईए को जांच सौंपी थी, लेकिन न्यायालय के निर्देश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी। लेकिन घटना के लगभग सात वर्ष बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दारिविट मामले में एनआईए जांच को बरकरार रखने का निर्णय लिया है, जो न्याय की दिशा में स्वागतयोग्य कदम है। यह निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने बार-बार जांच को प्रभावित करने और कमजोर करने का प्रयास किया। एनआईए जांच को बरकरार रखकर न्यायालय ने पुनः यह पुष्ट किया है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण न्याय में बाधा नहीं डाली जा सकती, विशेषकर ऐसे प्रकरण में जहां किसी की मृत्यु हुई हो। अभाविप राजेश सरकार और तापस बर्मन के परिजनों के साथ इस लड़ाई में साथ है और यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष जारी रखेगी कि दोषियों को उनके पद या राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना कानून के तहत कठोरतम दंड मिले।

अभाविप के अनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मामले को जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, उसे लेकर न्यायपालिका गंभीर है। यह निर्णय विद्यार्थी विरोधी ममता सरकार की विफलता को भी उजागर करता है, जो पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने में असमर्थ रही। अभाविप की यह स्पष्ट मांग है कि राज्य सरकार जांच में पूर्ण सहयोग करे और अपराधियों को संरक्षण देने के स्थान पर कानून के शासन का सम्मान करे। केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच ही पुलिस फायरिंग के पीछे की सच्चाई उजागर कर सकती है और एनआईए इसके लिए सबसे उपयुक्त प्राधिकरण है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

। जम्मू ।

नशे की लत से दूर रहने का आह्वान

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की जानीपुर नगर इकाई ने 'नशे को ना कहें, जीवन जोड़ें' अभियान के तहत एक जागरूकता और अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। गत 8 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम में अभाविप जम्मू-कश्मीर प्रांत संगठन मंत्री तिलक ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में छात्रों में मोबाइल फोन की सबसे बड़ी लत है। उन्होंने छात्रों से अपने स्क्रीन टाइम को गतिविधि टाइम में बदलने और मोबाइल फोन का उपयोग केवल आवश्यकता के अनुसार करने का संकल्प लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने नशामुक्त जीवनशैली के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को अनुशासन, रचनात्मकता और सकारात्मक आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया गया था। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर 'रील की दुनिया' से बाहर आएं युवा : आशीष चौहान

स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने देशभर में राष्ट्रीय युवा पखवाड़े का आयोजन किया। इस दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा एवं उत्साह के साथ भारतीय चिंतक, दार्शनिक एवं युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई। साथ ही विभिन्न प्रांतों में अनेकों गतिविधियों का आयोजन किया गया। युवा दिवस के अवसर पर अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने युवाओं से 'रील' की दुनिया से बाहर निकलकर 'रियल वर्ल्ड' में आने और खेल, कला, पर्यावरण सहित अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़ने के आह्वान किया ।

स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर **पटना** में गत 12 जनवरी को प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित एक कार्यक्रम में अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हुए कहा कि शिकागो धर्म संसद के माध्यम से उन्होंने दुनिया को भारत की सहिष्णुता और शांति की परंपरा से परिचित कराया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने स्वामी विवेकानंद के साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की। वर्तमान समय में युवाओं को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोई भी राष्ट्र बिना युवा शक्ति के आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र कल्याण में लगाना होगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभयानंद ने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच विकसित होगी। अभाविप पटना महानगर अध्यक्ष मुकेश झा ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने पर जोर दिया, जबकि महानगर मंत्री प्रियरंजन सिंह ने युवाओं से आह्वान किया कि वह संगठनात्मक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करके राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें।

महाराष्ट्र स्थित **वर्धा** में अभाविप (महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इकाई) ने सप्ताह भर चले 'युवा महोत्सव 2026' में अलग-अलग आयाम, कार्य, गतिविधियों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया ।लघु संगोष्ठी में मुख्य वक्ता सहायक आचार्य डा. सूर्य प्रकाश पाण्डेय ने अपने उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद के जीवन, दर्शन और विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। गत 13 जनवरी को विश्वविद्यालय परिसर में उल्लास और सांस्कृतिक समरसता के प्रतीक पतंग महोत्सव एवं लोहड़ी पर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डा. अवधेश कुमार शुक्ल ने अपने संबोधन में कहा कि पतंग महोत्सव और लोहड़ी जैसे पर्व भारतीय लोकसंस्कृति की जीवंत पहचान हैं, जिन्हें युवा पीढ़ी तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। युवा महोत्सव-2026 के अंतर्गत सेवार्थ विद्यार्थी के तत्वावधान में एक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन भी किया गया। वहीं15 जनवरी को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक व्याख्यान कार्यक्रम में 'प्रा. यशवंतराव केलकर स्वाध्याय मंडल' का पोस्टर विमोचन किया गया । राष्ट्रीय कला मंच द्वारा कवि सम्मेलन "युगबोध" का आयोजन, बैडमिंटन एवं वालीबॉल प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभाविप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इकाई द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'समुत्कर्ष' के युवा महोत्सव 2026 विशेषांक के आवरण पृष्ठ का विमोचन भी किया गया।

बिहार स्थित **सारण** में अभाविप छपरा इकाई के कार्यकर्ताओं ने गत 19 जनवरी को जयप्रकाश विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सामूहिक शपथ ली कि वह समय-समय पर इस तरह के सामाजिक सरोकार के कार्य जारी रखेंगे। मध्य प्रदेश स्थित **ब्यावर** में अभाविप ने गत 13 जनवरी को पांच किलोमीटर की मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में शुभम दांगी ने प्रथम, दीपक लववंशी ने द्वितीय और हरिओम गुर्जर ने तृतीय स्थान पर प्राप्त किया, जिन्हें मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश स्थित **गोरखपुर** में अभाविप गोरखपुर महानगर द्वारा युवा शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन युवाओं को स्वामी विवेकानन्द के विचारों से प्रेरित कर राष्ट्रनिर्माण एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में राष्ट्रभक्ति, युवा चेतना और भारतीय मूल्यों की सशक्त झलक देखने को मिली, जिसमें राष्ट्रीय कला मंच द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों ने उपस्थित जनसमूह को विशेष रूप से आकर्षित किया।

वाराणसी में गत 12 जनवरी को अभाविप वाराणसी महानगर के तत्वावधान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सावित्री बाई फूले सभागार में विचार संगोष्ठी में मुख्य अतिथि एवं अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही ने कहा कि अभाविप केवल अकादमिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व, सेवा भाव और सांस्कृतिक चेतना का भाव जागृत करने का कार्य करती है। संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि विश्वभूषण मिश्रा (मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर), सुनीता पांडेय (कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ) ने भी विचार प्रकट किया। गोष्ठी की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रा. आनंद कुमार त्यागी ने की। कार्यक्रम में परिषद के वाराणसी महानगर अध्यक्ष डा. सिद्धार्थ सिंह एवं महानगर मंत्री शिवम तिवारी भी उपस्थित रहे ।

जम्मू में गत 12 जनवरी को अभाविप जम्मू महानगर इकाई द्वारा राष्ट्र पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया

'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' अभियान का शुभारंभ

युवाओं के शाश्वत प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने देशव्यापी अभियान 'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' का शुभारंभ किया। अभाविप का मानना है कि 'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' अभियान युवाओं को डिजिटल लत से बाहर निकालकर उन्हें प्रकृति, खेल एवं संस्कृति से जोड़ने की एक सार्थक पहल है, जिसे अभाविप देशभर में एक परिवर्तनकारी अभियान के रूप में चलाएगी। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि अभाविप का यह स्पष्ट मत है कि जब युवा अपने स्क्रीन टाइम को एक्टिविटी टाइम में परिवर्तित करेंगे, तभी एक स्वस्थ, सजग एवं समर्थ राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। आज का युवा तकनीकी युग का प्रतिनिधि है, लेकिन मोबाइल एवं डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से युवाओं के स्वास्थ्य, समय प्रबंधन एवं सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देशभर के विद्यार्थियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अभाविप ने इस विषय को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रतिनिधि विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसी क्रम में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में पोस्टर विमोचन कर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय

छात्रसंघ के निर्वाचित अध्यक्ष शिवा पालेपू सहित समस्त छात्रसंघ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

अभियान के माध्यम से अभाविप युवाओं को यह संदेश देना चाहती है कि प्रगति केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानवीय एवं रचनात्मक भी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 'स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम', 'स्क्रीन टाइम टू फन टाइम', 'स्क्रीन टाइम टू प्ले टाइम' तथा 'मील विदाउट रील' जैसे आह्वानों के माध्यम से युवाओं को जोड़ते हुए उन्हें स्वस्थ एवं सामाजिक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभाविप देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों से आग्रह करेगी कि वह अपने दैनिक स्क्रीन टाइम में से कम से कम 30 मिनट घटाकर उसे प्रकृति एवं रचनात्मक कार्यों में लगाएं, जिससे उनके समग्र विकास में तकनीक बाधा न बन सके। वास्तव में यह अभियान भारत के युवाओं को पुनः अपनी जड़ों, प्रकृति एवं समाज से जोड़ने का कार्य करेगा। ■

गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा. एस. पी. वैद्य ने अपने संबोधन में युवाओं को अनुशासन, साहस और नैतिक शक्ति के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम में अभाविप राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य डा. नागेश ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। **रांची** में आयोजित युवाथॉन (मैराथन) में युवा शक्ति का उत्साह देखने को मिला। मैराथन में एक हजार से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं क्रिकेट खिलाडी सौरभ तिवारी ने विजेताओं और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल और मैराथन हार न मानने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर अभाविप झारखंड प्रांत मंत्री प्रकाश टूटी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी विचार व्यक्त किए। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोकराव मोडक का निधन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ शिक्षाविद स्वर्गीय अशोकराव मोडक की स्मृति में मुंबई स्थित दादर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी. सुरेंद्रन, अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रा. मिलिंद मराठे, मुंबई विद्यापीठ के कुलपति प्रा. आर. डी. कुलकर्णी, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान परिषद की सचिव वैदेही दप्तरदार तथा भारतीय स्त्री शक्ति की उपाध्यक्ष नयना सहस्रबुद्धे ने स्वर्गीय अशोकराव से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

गत 21 जनवरी को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि प्राध्यापकों का आदर्श व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इसका जीवंत उदाहरण अशोकराव मोडक हैं। वह एक प्रकार से गुणों का सागर थे। संघ का विषय हो या हिन्दुत्व का विषय, उनका सभी में गहन अध्ययन था। अशोकराव विनम्रता के प्रतिमूर्ति थे। स्वर्गीय अशोकराव से जुडी स्मृतियों का स्मरण

करते हुए सरकार्यवाह होसबले ने कहा कि जब मैं बेंगलुरु नगर कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा था, तब उनसे मेरा परिचय हुआ। 1974 के दादर में हुए अभाविप के अधिवेशन की शोभायात्रा विभाग की जिम्मेदारी स्वर्गीय अशोकराव के पास थी। वहां उनसे संपर्क हुआ और उसके बाद मुंबई से आत्मीय संबंध जुड़ गया। उन्होंने कहा कि अब गूगल के युग में बहुत सी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था। उस समय भी स्वर्गीय अशोकराव मूल अध्ययन करने वाले परिश्रमी शोधकर्ता थे। 'मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित' संघ के इस गीत का प्रत्येक शब्द उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। उनके जीवन का कम से कम एक आदर्श बिंदु अपने आचरण में लाएं, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए रा.स्व. संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि उनकी सहजता मन को भाती थी। अपना स्वभाव हमें खुद को गढ़ना पड़ता है और अध्ययन से यह सिद्ध होता है, ऐसा वह हमेशा कहते थे। नई पीढ़ी को तैयार करने का कठिन कार्य अशोकराव ने किया।

श्रद्धांजलि सभा में स्व. अशोकराव के पुत्र आशीष मोडक ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्रों में स्वर्गीय अशोकराव द्वारा किया गया कार्य अतुलनीय है। समाजहित के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, मूल्याधारित शिक्षा के प्रति उनकी दूरदृष्टि तथा जनसेवा के लिए दिया गया उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

जानकारी हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. अशोक गजानन मोडक का गत 2 जनवरी को निधन हो गया। उनका निधन अभाविप परिवार सहित सम्पूर्ण देश-समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका बहुआयामी व्यक्तित्व, कुशल शैक्षणिक प्रशासक, गहन विचारक, प्रखर लेखक एवं दूरदर्शी राजनेता के रूप में समाज को सार्थक दिशा प्रदान करने वाला रहा। 1985 से 1989 तक अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शिक्षा तथा समाज क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में अभाविप के प्रयासों का कुशल नेतृत्व किया। उन्होंने अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में एम. ए. तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से 'भारत को सोवियत आर्थिक सहायता' विषय पर पीएचडी की। मुंबई विश्वविद्यालय के सोवियत अध्ययन केंद्र में रीडर, केंद्रीय यूरेशियाई अध्ययन केंद्र में एडजंक्ट प्रोफेसर तथा गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (बिलासपुर) के कुलाधिपति के रूप में उन्होंने अकादमिक जगत को समृद्ध किया। वह 1994 से 2006 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे, जहां उन्हें सर्वश्रेष्ठ सदस्य पुरस्कार सहित अनेक

सम्मानों से पुरस्कृत किया गया। 2015 से 2020 तक केंद्र सरकार द्वारा उनकी अति प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अनुसंधान प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यकारी सदस्य के रूप में उनका हस्तक्षेप उल्लेखनीय रहा। चालीस से अधिक पुस्तकों की रचना करने वाले स्वर्गीय मोड़क के दो सौ से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए और उन्होंने नई दिल्ली, मॉस्को, द हेग एवं लंदन में भी शोध कार्य किया। वह भारतीय विचार तथा संस्कृति के उच्च कोटि के विद्वान थे। भारतीय विचार एवं मूल्यों से अनुप्राणित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार की उन्हें गहरी समझ थी। श्रद्धांजलि सभा में अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. रघुराज किशोर तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री देवदत्त जोशी सहित अभाविप के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे । ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

राष्ट्रीय युवा दिवस की झलकियां

RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 FEBRUARY, 2026
DATE OF PUBLISHING: 8 FEBRUARY, 2026

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

श्रद्धांजलि

अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष

स्व.अशोकराव मोडक

(26 अक्टूबर 1940-02 जनवरी 2026)